27/10/25

पत्रावली प्रेक्षुती। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय समक्ष समाधानित्मक समझौते लम्बित होने। साथ ही वकील प्रार्थी। प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। अतः वकील प्रार्थी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार अस्वीकृत से खारिज किया जाता है। पत्रावली की नकल के आदेशानुसार पेशकार शुभारम्भ आदेशानुसार दाखिल दफ्तर हो।

विजय आज दिनांक 27/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम